राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2023/2016/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक,
आमेर, जयपुर

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री गंगा बक्श पुत्र श्री भूरा मीणा,
   निवासी–ग्राम सांगावाल, पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर
2. श्री बाबू लाल मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा,
   निवासी ग्राम–सांगवाल, तहसील–आमेर जिला जयपुर
3. श्री ठाकरसी मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा,
   निवासी–ग्राम सांगावाल, पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम–सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री शिशिर विजयवर्गीय,
अभिभाषक
श्री बाबूलाल
अनुपस्थित

.....प्रार्थी–राजस्व की ओर से
..... अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से
..... अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं भी उपस्थित
...अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.09.2017

निर्णय

1. प्रार्थी–राजस्व द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) सतर्कता जयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 18.01.2016 प्रकरण संख्या 128/2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत कांट पंचायत समिति आमेर द्वारा जारी पट्टाशुदा भूखण्ड संख्या–24 क्षेत्रफल 420 वर्गगज को विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2013 द्वारा खरीद किया गया है। यह भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा सर्व प्रथम मालिक गंगाबक्स पुत्र श्री भूरा मीणा अप्रार्थी संख्या एक को आवंटित किया गया था जिसका पट्टा सर्वप्रथम अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किया गया था परन्तु इस पट्टे का पंजीयन नहीं करवाया था। अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने इस पट्टे को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक आमेर से रिपोर्ट प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.01.2016 द्वारा सम्पति का मूल्यांकन डी.एल. सी. दर से करते हुए सम्पति की मालियत रू0 3,40,200/– निर्धारित की, जिस पर मुद्राक कर राशि रू0 17,010/–, सरचार्ज राशि रू0 1,710/– व ब्याज राशि रू0 98,470/– कुल राशि रू0 1,17,190/– वसूल करने के आदेश दिये। अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने एमनेस्टी स्कीम में ब्याज का लाभ लेकर राशि जमा करा दी।

लगातार.....2

3. राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की है कि मौका निरीक्षण के रिपोर्ट के अनुसार मौके पर निर्माण था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निमार्ण का मूल्यांकन नहीं किया है व न ही इस पर मुद्रांक कर आदि की वसूली के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट क्रमांक 335 दिनांक 18.06.2015 निम्न प्रकार है :–

"श्री बाबूलाल पुत्र श्री रामपाल मीणा निवासी सांगवाला तहसील आमेर के निवासी है। इनका एक आवासीय प्लाट ग्राम सांगावाला तहसील आमेर के खसरा नम्बर 174 गै0 मु0 आबादी में है जो 420 वर्गगज का है। वर्ममान में उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य चालू किया है जो कुर्सी तक कार्य हो चुका है तथा उक्त प्लाट 8 फीट रोड पर स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार स्थगन दर्ज नहीं है तथा इसकी प्रमाणित डी.एल.सी. की प्रति इस पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रहीं है। इसकी मुल्यांकन रिपोर्ट निम्न प्रकार है:– ————————————कुल मालियत – 340200/– रूपये "

इस मौका निरीक्षण रिपार्ट में यह अंकन है कि भूखण्ड पर निर्माण कार्य चालू है जो कुर्सी तक कार्य हो चुका है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौके पर निर्माण कार्य चालू है तथा पूर्व में कोई पूर्ण निर्माण कार्य नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2013 का है तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2015 की है। इस अवधि में अप्रार्थी संख्या दो व तीन ने खरीद कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है तथा इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि भूखण्ड के क्रय करने के समय कोई निर्माण कार्य था। मौका रिपोर्ट से मौके पर चालू निर्माण के आधार पर कोई वसूली देय नहीं मानी जा सकती है।

4. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य